कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यो का संक्षिप्त उल्लेख

आमुख (संगठनात्मक परिचय)

सृजित सिंचाई क्षमता के कुशल उपयोग द्वारा अधिकतम भूमि सिंचित कर कृषि प्रसार तथा ग्राह्य कृषि अनुसंधान का समन्वय करते हुए कृषि उत्पादन प्राप्त करने की दृष्टि से वर्ष 1974–75 मे राज्य में कृषि सिंचित क्षेत्र विकास विभाग स्थापित किया गया एव चम्बल सिंचित क्षेत्र विकास प्राधिकरण व इन्दिरा गांधी सिंचित क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित किये गये। राज्य स्तर पर कृषि सिंचित क्षेत्र विकास विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नानुसार हैः–

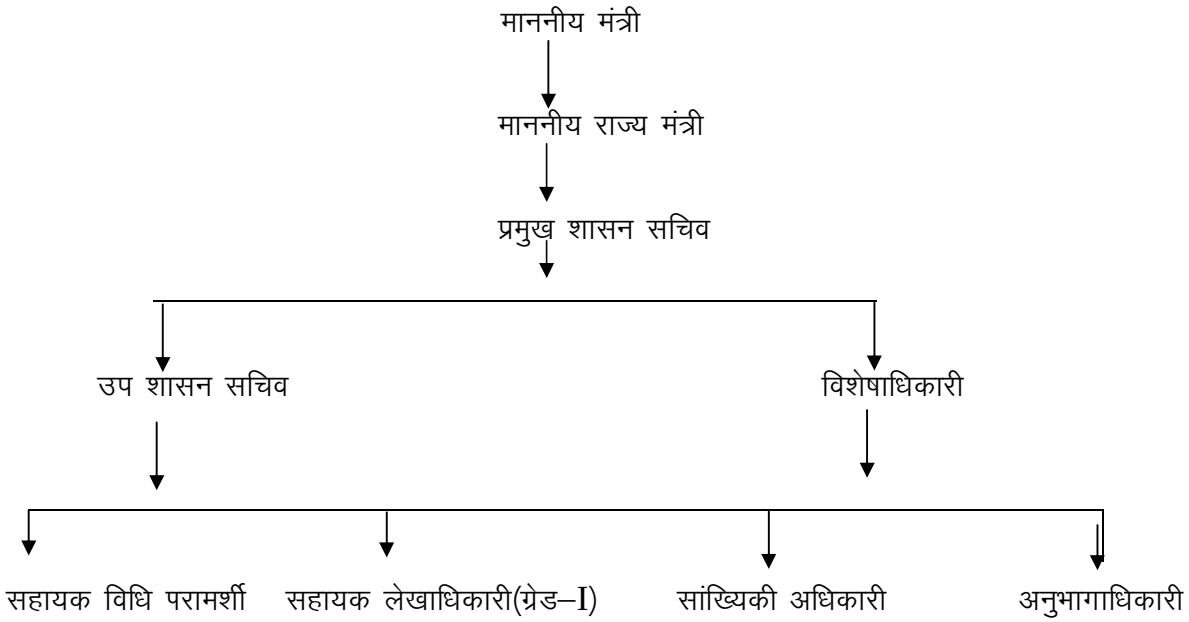

1. सिंचित क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए निम्न कार्य सम्पादित किये जा रहे हैः–

I सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण।
II सेम समस्या का निवारण एवं जलोत्सरण।
III जल के कुशल उपयोग हेतु भूमि विकास/पक्के खालों का निर्माण।
IV बाराबन्दी।
V कृषि प्रसार एवं अनुसंधान।
VI ग्राह्य अनुसंधान।
VII भू–जल की मॉनिट्रिंग।
VIII विश्व खाद्य कार्यक्रम।
IX विभिन्न कार्यो के लिए भूमि अवाप्ति।
X मंडियों, एग्रो सर्विस सेन्टर एवं आबादियों का नियोजन एवं विकास।

2. सिंचित क्षेत्र विकास के तहत नवीन परियोजनाये तैयार करना।

3. केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से पुनर्भरण प्राप्त करना।

4. केन्द्रीय सहायता, संस्थागत वित्त इत्यादि द्वारा वित्तीय संसाधन जुटाना।

5. नहरो से गैर कृषि कार्य के लिए जल लेने वाले पक्षकारों से समझौते पत्र निष्पादित करना।

6. कार्मिक, सामान्य प्रशासन एवं वित्त विभाग को निर्दिष्ट विषय वस्तु के अतिरिक्त विभाग के अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संस्थापन विषय।

7. राज्य में सिंचाई प्रबन्धन मे सहभागिता हेतु सी.ए.डी. विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है ताकि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से सिंचाई में सहभागिता के विस्तार हेतु सम्पर्क व समन्वय स्थापित कर सके।

8. कमान क्षेत्र में जल भराव व लवणीयता की समस्या के प्रबन्धन, बचाव व पुनरूद्धार हेतु बहुआयामी (सुरक्षात्मक व सुधारात्मक) उपायों में समन्वय स्थापित करने हेतु सिंचाई, कृषि, भू–जल व वन विभाग के मध्य सिंचित क्षेत्र विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

चम्बल परियोजना सिंचित क्षेत्र, इंदिरा गांधी नहर परियोजना–सिंचित क्षेत्र विकास एवं विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र विकास की गतिविधियों के समन्वय का कार्य संचालित किया जा रहा है। चम्बल परियोजना सिद्धमुख नोहर परियोजना, अमरसिंह सब ब्रांच, गंग केनाल फेज– I, भाखडा नहर सिंचाई परियोजना, गंग नहर सिंचाई परियोजना फेज–II एवं बीसलपुर परियोजनायें सी.ए.डी कार्यक्रम में शामिल है।

सिंचित क्षेत्र विकास, चम्बल कोटा

उद्देश्य एवं संगठनात्मक ढांचा

सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (चम्बल) कोटा एक समेकित परियोजना है जिसके अंतर्गत सिंचाई, जलोत्सरण, भूमि विकास, कृषि विस्तार व कृषि अनुसंधान आदि के कार्य किए जाते है। इस परियोजना का मूल उद्देश्य चम्बल सिंचित क्षेत्र के किसानों की वर्षा पर निर्भरता को कम करते हुए उचित समय पर समुचित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, भूमि सुधार करना तथा इस क्षेत्र में समन्वित प्रयास से समग्र कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। इसी उद्देश्य को लेकर जून 1974 में विश्व बैंक की सहायता से चम्बल सिंचित क्षेत्र परियोजना प्रारंभ की गई थी। चम्बल सिंचाई परियोजना की नहर प्रणाली, 2,29,000 हैक्टेयर (कोटा 104000 हैक्टेयर, बून्दी 97000 हैक्टेयर, बॉरा 28000 हैक्टेयर) राजस्थान में तथा इतना ही क्षेत्र मध्य प्रदेश में सिंचित करती है। चम्बल क्षेत्र में आने वाले गॉवो की संख्या 757 (कोटा,बून्दी एवं बांरा सीएडी क्षेत्र) है।

चम्बल परियोजना का निर्माण 76 प्रतिशत (21 प्रतिशत खरीफ व 55 प्रतिशत रबी) सिंचाई सघनता को ध्यान में रखते हुए किया गया था । वर्ष 1974–75 तक यह लक्ष्य अर्जित नही किया जा सका लेकिन उसके बाद समन्वित सिंचित क्षेत्र विकास के प्रयासों (भूमि विकास के कार्य, जलोत्सरण के कार्य, कृषि विस्तार व कृषि अनुसंधान) से सिंचाई सघनता 135 प्रतिशत अनुमानित तक अर्जित कर ली गई है।

सिंचित क्षेत्र विकास चम्बल कोटा के कार्य अब भारत सरकार की नवीन प्रस्तावित ISBIG योजना के तहत करवाये जाने है, जिसकी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर केन्द्रीय जल आयोग जयपुर को भिजवाई जा चुकी है।
संगठनात्मक ढांचा परिशिष्ट–1 पर एवं स्वीकृत रिक्त पदो का विवरण परिशिष्ट– 2 (अ) व 2 (ब) पर संलग्न है। आलौच्य वर्ष 2020–21 मे योजनावार वित्तीय प्रगति परिशिष्ट 6,7,8 एवं भौतिक लक्ष्य तथा प्रगति परिशिष्ट 9 पर दर्शित है। प्रमुख कार्यो के विरूद्ध आलोच्य वर्ष 2020–21 में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विगत तीन वर्षो की तुलनात्मक तालिका परिशिष्ट– 10 व 11 पर दर्शित है।

सिंचित क्षेत्र विकास चम्बल कोटा द्वारा संचालित योजना/कार्यक्रम की प्रगति :–

1.भूमि विकास कार्यक्रम

चम्बल सिंचित क्षेत्र के कुल 2.29 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खेत सुधार कार्य किये जाने थे। प्रारम्भ से मार्च, 2020 तक 1,58,236 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि विकास कार्य कराये जा चुके है। विभागीय योजना के अतिरिक्त महानरेगा योजना से ड्रेन डिसिल्टीग एवं कच्चे धोरो को पक्का करने के 393 कार्य राशि रूपये 3869.89 लाख के कार्यो की स्वीकृति जिला परिषद कोटा/बून्दी/बांरा जारी की गई इनमे से 55 कार्य पूर्ण एवं 163 कार्य प्रगतिरत है। जिन पर कुल राशि रूपयें 381.58 लाख का व्यय हुआ है। इसके अतिरिक्त राजीव गाधी जल संचय योजना अन्तर्गत पक्के धोरे निर्माण के 18 कार्य राशि रूपये 165.37 लाख के कार्य जिला परिषद कोटा/बून्दी/बांरा द्वारा अनटाईड फण्ड से स्वीकृति प्रदान की गई है ।

2. सिंचाई प्रबन्धन एवं जलोत्सरण कार्यक्रम

सिंचाई जल का कुशल प्रबन्धन एवं वितरण कर अधिकाधिक क्षेत्र मे सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नहरों को सुदृढ करने, उनकी क्षमता बढाने हेतु विभिन्न सिंचाई के ढॉचों का निर्माण, जलीय खरपतवारों पर नियंत्रण, ए.पी.एम./आउट लेट निर्माण एवं नहरी सडकों का निर्माण इत्यादि कार्य सम्पादित किये जाते हैं।

वर्ष 2020–21 में सिंचाई व जलौत्सरण के भौतिक कार्यो के अर्न्तगत माह दिसम्बर, 2020 तक नहर पक्की करने के कार्य 85.00 कि.मी. के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 42.01 कि.मी., विविध ढ़ाचे/प्रोटेकशन वर्क्स 46 (संख्या) के विरूद्ध 41 (संख्या), आउट लेट 305 (संख्या) के विरूद्ध 18 (संख्या), मिट्टी के कार्य 7.85 लाख घन मीटर के विरूद्ध 1.74 लाख घन मीटर, सी.सी. कार्य 24158 (घन मीटर) के लक्ष्य के विरूद्ध 6880.67 (घनमीटर) तथा स्टोन मेसनरी कार्य 1987 (घन मीटर) लक्ष्य के विरूद्ध 362.68 (घनमीटर) में किया गया हैं।

3.कृषि अनुसंधान

वृहद सिंचाई परियोजनाओं में ग्राह्य परीक्षण का विशेष महत्व है। क्षेत्र विशेष की आवश्कतानुसार अधिक कृषि उत्पादन हेतु प्रसार कार्यकर्ताओं के माध्यम से कृषकों को कृषि की नवीनतम तकनीकी जानकारी से अवगत कराया जाता है। वर्ष 2007–08 से इस योजना को आयोजना भिन्न में तथा वर्ष 2017–18 से स्टेट फण्ड (योजना के अतिरिक्त) में क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2019–20 से इस योजना को योजना अर्न्तगत सम्मिलित किया गया है तथा निम्न कार्य कराये जा रहे हैं :–

- नवीनतम फसलों का समावेश और उपयुक्त फसल पद्धति का ज्ञान कराना।
- विभिन्न फसलों की उन्नत व अधिकतम पैदावार वाली प्रजातियों का चयन।
- शस्य क्रियाओं का प्रचार एवं प्रसार।
- फसलों में कीट व रोग प्रकोप का सर्वेक्षण व नियंत्रण।
- फसलों में खरपतवार नियंत्रण।
- खेतों मे सिंचाई जल का प्रबन्धन एवं समुचित उपयोग।
- कृषकों के खेतो पर ग्राहय परीक्षण आयोजित करना।
- कृषकों की समस्याओं का तकनीकी निदान ।
- मृदा परीक्षण कर संतुलित उर्वरकों की सिफारिश ।
- भू–जल की गुणवत्ता की जांच एवं तदनुसार सिफारिश।
- कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित परीक्षणों को नान्ता एवं दीगोद फार्म तथा समस्याग्रस्त क्षेत्र में कृषकों के यहॉ सम्पादित कर सिफारिश प्रदान करना।

वर्ष 2020–21 में ग्राहय परीक्षण 30 (संख्या) के वार्षिक लक्ष्य के विपरीत माह दिसम्बर 2020 तक 39 (संख्या) ग्राहय परीक्षण आयेाजित किये गये। बीज उत्पादन कार्यक्रम लक्ष्य 102 हैक्टेयर क्षेत्र के विरूद्ध 102.88 हैक्टेयर क्षेत्र मे आयेाजित किया गया है। मृदा एवं जल विश्लेषण के वार्षिक लक्ष्य 1000 (संख्या) विरूद्ध क्रमशः 300 (संख्या) में मृदा एवं 46 (संख्या) जल के नमूनो का विश्लेषण किया गया है।

"नान्ता कृषि सलाह पर्ची" प्रिस्क्रिपशन सेवा के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में दिसम्बर 2020 तक 874 कृषको की समस्याओं का समाधान कर उन्हे इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। माह जनवरी 2014 से दिसम्बर 2020 तक कुल 17,385 कृषको की समस्याओं का समाधान कर उन्हे इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है।

4.कृषि विस्तार कार्यक्रम

कृषि क्षेत्र में नवीनतम हो रहे अनुसंधानों को कृषको के खेतो तक पहुचानें के उद्देश्य से सिंचित क्षेत्र विकास में प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम सीएडी क्षेत्र की सभी आठ पंचायत समितियो मे संचालित हैं। जिसमें कोटा जिले की लाड़पुरा, सुल्तानपुर व इटावा, बून्दी जिले की बून्दी, केशोरायपाटन व तालेडा तथा बांरा जिले की अन्ता, मांगरोल पंचायत समिति हैं। जिसमें कुल 235 ग्राम पंचायतें आती हैं। कृषि विस्तार द्वारा कृषि विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं जैसे अनुदान पर उन्नत कृषि यंत्रों व पौध संरक्षण यंत्रों का वितरण, फसलों में कीट एवं बीमारियों के नियंत्रण उपाय सुझाना एवं आर्थिक हानि स्तर से अधिक प्रकोप होने पर विभाग से कृषकों को पौध संरक्षण रसायनो पर अनुदान, सहायता उपलब्ध करवाकर फसलों को सुरक्षा प्रदान करना है। भूमि की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुदान पर जिप्सम वितरण करना, भूमि में उर्वरकों से पडने वाले विपरीत प्रभाव को कम करने के उददेश्य से जीवाणु खाद (कल्चर) का अनुदान पर वितरण तथा संतुलित उर्वरकों के प्रयोग को बढावा देने के लिये कृषकों को मिट्टी के परीक्षण के लिये प्रेरित कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को संचालित

किया जा रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी की प्रयोगशाला जॉच उपरान्त कृषकों को दिये जा रहे है ताकि कृषक को उसकी भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की जानकारी रहे उसी अनुसार कृषक बोई जाने वाली फसल में उर्वरक का प्रयोग कर सके।

सी.ए.डी क्षेत्र में सिंचाई जल के सदुपयोग हेतु कृषको को जागरूक किया जा रहा है ताकि सिंचाई जल के अपव्यय को रोकने हेतु विभागीय योजनान्तर्गत फार्म पोण्ड बनाने हेतु जाग्रत कर अनुदान उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम संचालित कर, सिंचित क्षेत्र में वृद्धि कर कृषि उत्पादन को बढाया जा सके। कृषि तकनीक को बढावा देने के लिये उन्नत एवं नवीनतम किस्मों के बीज मिनिकिट्स वितरण, फसल प्रदर्शनों के माध्यम से आधुनिक तकनीक का कृषकों में प्रसार, जिप्सम के प्रयोग से दलहनी, तिलहनी फसलो में उत्पादन वृद्धि, खरपतवार नियत्रण हेतु रसायनों के फसलों में प्रयोग, समयानुसार पौध संरक्षण उपायों के माध्यम से फसल सुरक्षा, पौध संरक्षण उपकरणों, कृषि यंत्रो को अनुदान पर कृषकों को मुहैया कराया जाकर खेती मे कृषि यान्त्रीकरण को बढावा देना, जैविक उर्वरकों के प्रयोग से पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढाना, विभिन्न सिंचाई पद्धतियों के प्रयोग को बढावा देना, उनपर कृषकों को विभागीय दिशा निर्देश अनुसार अनुदान उपलब्ध करवाया जाने के कार्य किये जा रहे है। कृषकों को विभिन्न प्रशिक्षणों एवं अन्तराज्यीय एवं अन्तर्राज्यीय कृषक भ्रमण के द्वारा कृषि क्षेत्र में हुए प्रयोगों, प्रयासों के साथ आधुनिक कृषि तकनीक से अवगत करवाया जा रहा है।

सिंचित क्षेत्र विकास चम्बल कोटा में खरीफ 2020 में 3,58,609 हैक्टेयर क्षेत्र मे विभिन्न फसलों की बुवाई की गयी है जिसमें से 78,726 हैक्टेयर क्षेत्र में धान तथा 1,97,640 हैक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन तथा 59,700 हैक्टेयर क्षेत्र में उडद की बुवाई गयी हैं। रबी 2020–21 में माह दिसम्बर 2020 तक 3,68,921 हैक्टेयर क्षेत्र मे विभिन्न फसलों की बुबाई की गयी है जिसमें गेहूँ, चना तथा सरसों की फसल की बुवाई क्रमशः 2,54,693, 42,138 एवं 33,838 हैक्टेयर क्षेत्र में की गई है।

5.जल प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता कार्यक्रम

राजस्थान में सर्वप्रथम चम्बल सिंचित क्षेत्र में सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता बढाने, नहरी तंत्र का प्रबंधन, रख रखाव एवं जल वितरण कृषक संगठनों के माध्यम से करवाने हेतु वर्ष 1992 में प्रारम्भ कर 354 जल प्रबन्धन समितियों का गठन किया गया था। इनमे से 82 समितियां राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 एवं 272 समितियां राजस्थान संस्था अधिनियम 1958 के तहत गठित की गई थी। उक्त समितियों का पुर्नगठन राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 एवं नियम 2002 के तहत किया जा कर 282 जल उपयोक्ता संगमों, 36 जल वितरण समितियों एवं एक परियोजना समिति का गठन कर लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा सीएडीडब्ल्यूएम कार्यों की समीक्षा हेतु गठित मोनेटरिंग कमेटी में पीआईएम एक्ट के तहत गठित परियोजना स्तरीय समिति के प्रतिनिधि को मोनिटरिंग कमेटी के सदस्य के रूप में मनोनित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा काडा में भी चम्बल परियोजना समिति के सभापति के साथ साथ चार वितरण समिति के सदस्यों को भी सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है।

सिंचाई कर वसूली में से कृषक संगठनो को उनके हिस्से के रूप में वर्ष 2012–13 में रूपये 111.08 लाख, वर्ष 2013–14 में राशि रूपये 124.25 लाख, वर्ष 2014–15 में राशि रूपये 142.36 लाख, 2015–16 में राशि रूपये 101.49 लाख, 2016–17 में राशि रूपये 45.89 लाख, वर्ष 2017–18 में राशि रूपये 69.38 लाख, वर्ष 2018–19 में राशि रूपये 95.13 लाख, वर्ष 2019–20 में राशि रूपये 105.89 लाख तथा वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर 20 तक राशि रूपये 69.10 लाख की राशि लौटायी गयी।

सार संक्षेप :–

- वर्ष 2020–21 में सिंचाई व जलौत्सरण के भौतिक कार्यो के अर्न्तगत माह दिसम्बर, 2020 तक नहर पक्की करने के कार्य 85.00 कि.मी. के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 42.01 कि.मी., विविध ढ़ाचे/प्रोटेकशन वर्क्स 46 (संख्या) के विरूद्ध 41 (संख्या), आउट लेट 305 (संख्या) के विरूद्ध 18 (संख्या), मिट्टी के कार्य 7.85 लाख घन मीटर के विरूद्ध 1.74 लाख घन मीटर, सी.सी. कार्य 24158 (घन मीटर) के लक्ष्य के विरूद्ध 6880.67 (घनमीटर) तथा स्टोन मेसनरी कार्य 1987 (घन मीटर) लक्ष्य के विरूद्ध 362.68 (घनमीटर) में किया गया हैं।
- सिंचित क्षेत्र विकास चम्बल कोटा में खरीफ 2020 में 3,58,609 हैक्टेयर क्षेत्र मे विभिन्न फसलों की बुवाई की गयी है जिसमें से 78,726 हैक्टेयर क्षेत्र में धान तथा 1,97,640 हैक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन तथा 59,700 हैक्टेयर क्षेत्र में उडद की बुवाई गयी हैं। रबी 2020–21 में माह दिसम्बर 2020 तक

3,68,921 हैक्टेयर क्षेत्र मे विभिन्न फसलों की बुबाई की गयी है जिसमें गेहूँ, चना तथा सरसों की फसल की बुवाई क्रमशः 2,54,693, 42,138 एवं 33,838 हैक्टेयर क्षेत्र में की गई है।

- खेत सुधार कार्यो के अन्तर्गत महानरेगा योजना से ड्रेन डिसिल्टीग एवं कच्चे धोरो को पक्का करने के 393 कार्य राशि रूपये 3869.89 लाख के कार्यो की स्वीकृति जिला परिषद कोटा/बून्दी/बांरा जारी की गई इनमे से 55 कार्य पूर्ण एवं 163 कार्य प्रगतिरत है। जिन पर कुल राशि रूपयें 381.58 लाख का व्यय हुआ है। इसके अतिरिक्त राजीव गाधी जल संचय योजना अन्तर्गत पक्के धोरे निर्माण के 18 कार्य राशि रूपये 165.37 लाख के कार्य जिला परिषद कोटा/बून्दी/बांरा द्वारा अनटाईड फण्ड से स्वीकृति प्रदान की गई है ।

- वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत माह दिसम्बर 20 तक स्टेट फण्ड (मध्यप्रदेश हिस्सा रहित) में राशि रूपये 10182.85 लाख के प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपयें 4051.21 लाख का व्यय किया गया।

वर्ष 2020–21 में ग्राहय परीक्षण 30 (संख्या) के वार्षिक लक्ष्य के विपरीत माह दिसम्बर 2020 तक 39 (संख्या) ग्राहय परीक्षण आयेाजित किये गये। बीज उत्पादन कार्यक्रम लक्ष्य 102 हैक्टेयर क्षेत्र के विरूद्ध 102.88 हैक्टेयर क्षेत्र मे आयेाजित किया गया है। मृदा एवं जल विश्लेषण के वार्षिक लक्ष्य 1000 (संख्या) विरूद्ध क्रमशः 300 (संख्या) में मृदा एवं 46 (संख्या) जल के नमूनो का विश्लेषण किया गया है।

सिंचित क्षेत्र विकास विभाग , बीकानेर

उद्देश्य एवं संगठनात्मक ढांचा

इंदिरा गांधी नहर परियोजना, एक वृहद सिंचाई परियोजना है। सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र को दो चरणों (प्रथम चरण–फेज–I एवं फेज–II तथा द्वितीय चरण) में विभक्त कर वर्ष 1974 में विश्व बैंक की सहायता से सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इस क्षेत्र के एकीकृत विकास हेतु मुख्य रूप से खालों का निर्माण एवं कृषि अनुसंधान, कृषि विस्तार, आबादी प्लानिंग, कृषि आदानों की व्यवस्था एवं मण्डी विकास आदि कार्य कराये जा रहे है।

वर्ष 2004–05 के पश्चात संगठन द्वारा अन्य परियोजनाओं यथा सिद्वमुख नोहर सिंचाई परियोजना, अमरसिंह सब ब्रांच परियोजना, गंगनहर परियोजना एवं भाखडा नहर परियोजना में पक्का खाला निर्माण कार्य कराये जा रहै है। इंगानप क्षेत्र में खाला निर्माण कार्य 31.08.2010 को समाप्त कर दिये गये है।

संगठनात्मक ढांचा परिशिष्ट –3 पर एवं स्वीकृत रिक्त पदो का विवरण परिशिष्ठ–4 (अ) व 4 (ब) पर संलग्न है। आलौच्य वर्ष में योजनावार वित्तीय प्रगति परिशिष्ट–12, भौतिक लक्ष्य एवं प्रगति परिशिष्ठ–13, भौतिक प्रगति स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान राज्य आयोजना परिशिष्ट –14 एवं प्रमुख कार्य के विरुद्व आलौच्य वर्ष में भौतिक एवं वित्तिय प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्षो से तुलना परिशिष्ठ–15 पर संलग्न है।

1. सिचित क्षेत्र विकास बीकानेर द्वारा संचालित योजना/कार्यक्रम एवं प्रगति

1.1 इंदिरा गांधी नहर परियोजना–

इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में खालों का निर्माण वर्ष 1974–75 अन्तराष्ट्रीय विकास अभिकरण की सहायता से प्रारम्भ किया गया था। प्रथम चरण के प्रथम फेज का कार्यकाल 30–6–83 को समाप्त हो गया। इस अवधि में 1,87,255 हैक्टेयर में पक्के खालों का निर्माण कराया गया।

इसी प्रकार प्रथम चरण के द्वितीय फेज में खालों का निर्माण अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की सहायता से वर्ष 1980 में शुरू किया गया। इस चरण का कार्यकाल दिसम्बर 1988 में समाप्त हो गया। इस अवधि में 1,75,398 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण कराया गया।

द्वितीय चरण में खालों का निर्माण वर्ष 1987–88 से केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत करवाया गया। खालों के निर्माण पर किए जाने वाले व्यय का 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। मार्च 2011 तक प्रथम चरण में 5.29 लाख है. क्षेत्र एवं द्वितीय चरण में 7.03 लाख है.. क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण किया जा चुका है। उक्त परियोजना में ओ एफ डी. कार्य अगस्त 2010 से बंद कर दिए गए हैं व केन्द्र सरकार द्वारा उक्त परियोजना को सीएडी डब्लूएम प्रोग्राम से विलोपित करं इसके एवज में गंग नहर परियोजना को

सीएडी डब्लूएम प्रोग्राम के तहत सम्मिलित करने की स्वीकृति केन्द्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के पत्र दिनांक 19.1.2011 द्वारा जारी की है।

1.2 सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना–

सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना का 1,24,864 हैक्टेयर क्षेत्र है। जिसमें पक्के खालों का निर्माण होना है, तथा यह परियोजना केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में सम्मिलित है। वर्ष 2004–05 में सीएडी द्वारा इस परियोजना में पक्के खालों का निर्माण प्रारंभ कर किया गया। मार्च 2020 तक 104692 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण पूर्ण हुआ है। शेष रहे कमाण्ड क्षेत्र के लिए भारत सरकार की नवीन प्रस्तावित योजना आई.एस.बी.आई.जी. के अन्तर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाई गई है।

1.3 अमरसिंह सब ब्रांच सिंचाई परियोजनाः–

अमरसिंह सब ब्रांच सिंचाई परियोजना केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में सम्मिलित है जिसमें पक्के खालों का निर्माण होना है। परियोजना का 44425 हैक्टेयर क्षेत्र है। सीएडी द्वारा खालों का निर्माण वर्ष 2005–06 में प्रारंभ किया गया। मार्च, 2020 तक 36910 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण पूर्ण हुआ है। शेष रहे कमाण्ड क्षेत्र के लिए भारत सरकार की नवीन प्रस्तावित योजना आई.एस.बी.आई.जी. के अन्तर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाई गई है।

1.4 गंग नहर परियोजना :–

गंग नहर परियोजना क्षेत्र में पक्के खालों के निर्माण हेतु उक्त परियोजना को सीएडी डब्लूएम कार्यक्रम के तहत शामिल किये जाने की स्वीकृति केन्द्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के पत्रांक 13/2/2008 –सीएडी डब्लूएम दिनांक 19.01.2011 द्वारा प्राप्त हो चुकी है। परियोजना का 1,86,312 हैक्टेयर क्षेत्र है। मार्च 2015 तक 68739 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण पूर्ण करवाया गया था। भारत सरकार द्वारा 31.03. 2015 को इस परियोजना को समाप्त घोषित किया गया एवं शेष कार्य हेतु गंगनहर परियोजना फेज–I के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये।

1.5 गंग नहर सिंचाई परियोजना (फेज –I):–

इस परियोजना को सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्म के तहत शामिल किये जाने की स्वीकृति केन्द्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के पंत्र दिनांक 14.03.2016 द्वारा 118252 हैक्टेयर क्षेत्र में रूपये 386.68 करोड़ की लागत से पक्का खाला निर्माण कार्य हेतु जारी की जा चुकी है। मार्च 2020 तक 72927 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण पूर्ण करवाया गया था। वर्ष 2020–21 में गंग नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि विकास कार्यों हेतु 500 हेक्टेयर के भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध माह दिसम्बर 2020 तक कुल 90 हेक्टर क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के शेष रहे 73,100 हैक्टेयर क्षेत्र को गंगनहर परियोजना फेज–द्वितीय में शामिल करने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दिनांक 31.12.2019 को जारी की गई।

1.6 गंग नहर परियोजना (फेज–II):–

इस परियोजना को सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्म के तहत शामिल किये जाने की स्वीकृति केन्द्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के पत्रांक एन 19011/3/2015 सीएडीडब्ल्यूएम दिनांक 28.09.2015 द्वारा 44875 हैक्टेयर क्षेत्र में रूपये 146.74 करोड़ की लागत से पक्का खाला निर्माण कार्य हेतु जारी की जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा आदेश दिनांक 31.12.2019 के द्वारा इस परियोजना का संशोधित क्षेत्र 117975 हेक्टेयर एवं अनुमानित लागत रूपये 341.53 करोड कर दी गई है। मार्च 2020 तक 27899 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण पूर्ण करवाया गया था। वर्ष 2020–21 में इस परियोजना क्षेत्र में भूमि विकास कार्यों हेतु 32000 हेक्टेयर के भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध माह दिसम्बर 2020 तक कुल 9767 हेक्टर क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण किया गया है।

1.7 भाखड़ा नहर परियोजनाः–

इस परियोजना को सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्म के तहत शामिल किये जाने की स्वीकृति केन्द्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के पत्रांक एन 19011/3/2015 सीएडीडब्ल्यूएम दिनांक 28.09.2015 द्वारा 1,13,420 हैक्टेयर क्षेत्र में रूपये 370.88 करोड़ की लागत से पक्का खाला निर्माण कार्य हेतु जारी की जा चुकी है। मार्च

2020 तक 60713 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण पूर्ण करवाया गया था। शेष रहे कमाण्ड क्षेत्र के लिए भारत सरकार की नवीन प्रस्तावित योजना आई.एस.बी.आई.जी. के अन्तर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाई गई है।

2. ग्राह्य कृषि अनुसंधान एवं भू सर्वेक्षणः–

वृहद् सिंचाई परियोजनाओं में ग्राह्य कृषि अनुसंधान का विशेष महत्व है। इसके द्वारा क्षेत्र में निम्न कार्य कराये जाकर कृषकों को कृषि की नवीनतम तकनिकी जानकारी दी जाती है।

1. नवीन फसलों का समावेश व उपयुक्त फसल पद्धति का निर्धारण
2. विभिन्न फसलों की उन्नतशील व अधिक पैदावारवाली किस्मों का चयन
3. अधिक उत्पादन देने वाली शस्य क्रियाओं का चयन
4. फसल में कीट व रोग का सतत निरीक्षण व नियंत्रण का कार्यक्रम बनाना
5. खरपतवार नियंत्रण
6. खेतों पर सिंचाई जल का प्रबन्धन एवं समुचित उपयोग
7. कृषकों के खेतों पर ग्राह्य परीक्षण
8. कृषकों की समस्याओं का तकनीकी निदान
9. खालों के निर्माण हेतु विस्तृत भू सर्वेक्षण करवाना
10. किसानों से प्राप्त मृदा एवं जल के नमूनों का रासायनिक विश्लेषण मुख्यालय बीकानेर स्थित प्रयोगशाला में तथा वर्ष 2001–02 से कृषि अनुसंधान कार्य द्वितीय चरण के कृषि ग्राह्य अनुसंधान केन्द्र गोडू,.नाचना एवं मोहनगढ में किया जाता रहा हैं।

3. कृषि विस्तारः–

कृषि विस्तार कार्यक्रम के तहत कृषकों के खेतों पर नवीनतम तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 1989–90 से कृषि विस्तार कार्य द्वितीय चरण के दो कृषि विस्तार कार्यालयों बज्जू एवं मोहनगढ द्वारा किया जा रहा हैं। प्रत्येक जिला कृषि विस्तार कार्यालय में फसल उत्पादन, पौध संरक्षण, कृषि प्रशिक्षण इत्यादि के विशेषज्ञ कृषकों से निरन्तर संपर्क कर नवीनतम ज्ञान का प्रचार करते हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि विस्तार कार्यकर्ता कृषकों को नवीन ज्ञान से परिचित करवाकर उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। कृषि विस्तार कार्यक्रम के साथ साथ कृषि विस्तार कार्यकर्ता काश्तकारों को विभाग की विभिन्न अनुदान योजनाओं एवं कृषि प्रदर्शन कार्यक्रम का लाभ भी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं।

4. नगर नियोजनः–

इस परियोजना का क्षेत्र पहले गैर आबाद था। क्षेत्र में उपलब्ध भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ उपनिवेशन विभाग द्वारा आवंटित किया जाता है। परियोजना क्षेत्र को नियोजित ढ़ग से विकसित करने के लिये आबादियों, कृषि सेवा केन्द्रों एवं मण्डी टाऊन्स की सर्वे कर प्लानिंग की जाती है।

5. मण्डी विकासः–

मण्डी विकास समिति, बीकानेर के अधीन इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र की मण्डी छत्तरगढ, लूणकरणसर, बेरियावाली (खाजूवाला), आर.डी. 465, दंतौर, पूगल, गोडू एवं बज्जू आती हैं।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में विशेष पहल और उपलब्धियांः–

केन्द्रीय प्रवर्तित परियोजनाओ के अन्तर्गत भाखड़ा नहर परियोजना क्षेत्र में 1,13,420 है0 क्षेत्र मे पक्का खाला निर्माण हेतु राशि रुपये 370.88 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को प्रस्तुत की गई जिसकी स्वीकृति भारत सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा जारी की गई । माह दिसम्बर 2020 तक कुल 60713 है0 क्षेत्र में पक्के खालो का निर्माण करवाया जा चुका है।

इसके साथ ही गंग नहर परियोजना फेज II में 117975 है0 क्षेत्र में पक्का खाला निर्माण हेतु राशि रुपये 341.53 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की स्वीकृति भारत सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा जारी की गई । माह दिसम्बर 2020 तक कुल 27899 है0 क्षेत्र में पक्के खालो का निर्माण करवाया जा चुका है।

सार–संक्षेप

सिंचित क्षेत्र विकास बीकानेर क्षेत्र के गंग नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना फेज II ,अमरसिंह सब ब्रच परियोजना, भाखड़ा नहर परियोजना एवं सिद्वमुख नोहर सिंचाई परियोजना क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में इन परियोजनाओं के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2020 तक 9,857 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्का खाला निर्माण कार्य पूर्ण करवाये जा चुके है।

बीसलपुर सिंचाई परियोजना

उददेश्य एवं संगठनात्मक ढांचा

क्षेत्र मे सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग करने हेतु भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 1345/2001/सी.ए.डी डबल्यू.एम./1726 दिनांक 31.08.2006 के द्वारा राजस्थान सरकार के सघन प्रयासो से बिना किसी अन्य परियोजनाओं को बन्द किये, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत 80700 हेक्टेयर के लिये रु.129.34 करोड राशि उक्त परियोजना हेतु स्वीकृति की गई ।

मार्च 2020 तक 62,805 हेक्टेयर क्षेत्र में पक्कें खालो का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। शेष रहे कमाण्ड क्षेत्र के लिए भारत सरकार की नवीन प्रस्तावित योजना आई.एस.बी.आई.जी. के अन्तर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाई गई है।

संगठनात्मक ढांचा परिशिष्ठ–5 पर संलग्न है। आलौच्य वर्ष में योजनावार बजट आवंटन एवं व्यय परिशिष्ठ–16 , भौतिक लक्ष्य एवं प्रगति परिशिष्ठ–17, एवं प्रमुख कार्य के विरुद्ध आलौच्य वर्ष में वित्तिय एवं भौतिक प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्षो से तुलना परिशिष्ठ–18–19, पर संलग्न है।

सीएडी बीसलपुर परियोजना की सार संक्षेप :–

सिंचित क्षेत्र विकास हेतु केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय के आदेश सं0 1345/2001/सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम./1726 न्यू देहली दिनांक 31.08.2006 के द्वारा 129.34 करोड रुपये (अक्षरे राशि एक सौ उनतीस करोड चौतीस लाख रुपये मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई है।

माह दिसम्बर 2020 तक राशि रू. 13807.131 लाख व्यय किये जाकर कुल 62805 हैक्टेयर में पक्का घोरा निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

राजस्थान भूमि विकास निगम

मंत्रीमण्डल आज्ञा क्रमांक 137/2017 दिनांक 10/09/2017 की अनुपालना में राजस्थान भूमि विकास निगम के समापन संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

:–1

संगठनात्मक ढांचा, सीएडी, चम्बल कोटा
क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सीएडी, कोटा

I

प्रशासनिक एवं समन्वय इकाई (लैण्ड रिकॉर्ड सहित)	वित्त एवं लेखा इकाई	कृषि विस्तार इकाई	कृषि अनुसंधान इकाई	जल प्रबन्धन इकाई (सिंचाई) (सिंचाई एवं जलोत्सरण)		भूमि विकास इकाई
अतिरिक्त क्षेत्रीय विकास आयुक्त	मुख्य लेखाधिकारी	परियोजना निदेशक (विस्तार)	परियोजना निदेशक (शस्य)	मुख्य अभियन्ता (पूर्व) एवं अतिरिक्त सचिव		
				अधीक्षण अभियन्ता (सिंचाई)	अधीक्षण अभियन्ता (बांई मुख्य नहर)	अधीक्षण अभियन्ता (भूमि विकास)
(1) उप निदेशक एवं तकनीकी सहायक वास्ते क्षेत्रीय विकास आयुक्त	वरिष्ठ लेखाधिकारी	जिला विस्तार अधिकारी (3)	ग्राहय परीक्षण केन्द्र (2)	खण्ड(3)	खण्ड(2)	खण्ड(4)
						(1) अधिशाषी अभियन्ता, खेत सुधार खण्ड प्रथम के. पाटन
(2) सहायक भू अभिलेख अधिकारी कम तहसीलदार		(1) जिला विस्तार अधिकारी, कोटा	(1) नान्ता फार्म	(1) अधिशाषी अभियन्ता, दाँई मुख्य नहर, खण्ड प्रथम, सीएडी कोटा	(1) अधिशाषी अभियन्ता, बांई मुख्य नहर, सीएडी बून्दी	(2) अधिशाषी अभियन्ता, खेत सुधार खण्ड द्वितीय, सुल्तानपुर
(3) सहायक विधि परामर्शी		(2) जिला विस्तार अधिकारी, सुल्तानपुर	(2) दीगोद फार्म	(2) अधिशाषी अभियन्ता, दाँई मुख्य नहर खण्ड द्वितीय, सीएडी अन्ता	(1) अधिशाषी अभियन्ता, बांई मुख्य नहर, सीएडी के.पाटन।	(3) अधिशाषी अभियन्ता, खेत सुधार खण्ड तृतीय, अन्ता,
		(3) जिला विस्तार अधिकारी, बून्दी	मृदा, जल परीक्षण प्रयोगशाला–1 , नान्ता, कोटा	(3) अधिशाषी अभियन्ता, दाँई मुख्य नहर खण्ड, तृतीय, सीएडी, ईटावा		(4) अधिशाषी अभियन्ता, खेत सुधार खण्ड, चतुर्थ, कोटा
				उपखण्ड (9)	उपखण्ड (6)	

2(अ) सिंचित क्षेंत्र विकास चम्बल मे विभिन्न सेवा वर्ग के दिसम्बर 2020 तक की स्थितिनुसार स्वीकृत एवं रिक्त पदो का विवरण :–

क.सं.	पद का नाम	स्वीकृत,कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	क्षेत्रीय विकास आयुक्त	1	आस्थगित	1
2	अति. क्षेत्रीय विकास आयुक्त	1	0	1
3	मुख्य लेखाधिकारी	1	1	0
4	परियोजना निदेशक (शष्य)	1	1	0
5	परियोजना निदेशक (विस्तार)	1	1	0
6	अधीक्षण अभियंता	3	2	1
7	उप निदेशक एवं तकनीकी सहायक	1	0	1
8	उपनिदेशक (शष्य)	1	1	0
9	अधिशाषी अभियन्ता (मय प्रावै.सहायक)	12	9	3
10	निजी सचिव	1	1	0
11	जिला विस्तार अधिकारी	3	3	0
12	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	0	1
13	लेखाधिकारी	3	1	2
14	सहायक अभियन्ता (सिंचाई)	24	20	4
15	सहायक अभियन्ता (कृषि)	14	11	3
16	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (वनस्पति/शष्य)	5	1	4
17	तहसीलदार	1	0	1
18	सहायक विधि परामर्शी	1	1	0
19	सहायक लेखाधिकारी–।	1	1	0
20	डिप्टी कलक्टर	1	0	1
21	सांख्यिकी अधिकारी	1	1	0
22	सहायक लेखाधिकारी –ाा	13	5	8
23	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
24	अतिरिक्त निजी सचिव	1	0	1
25	कनिष्ठ अभियन्ता (सिंचाई)	60	26	34
26	कनिष्ठ अभियन्ता (कृषि)	17	16	1
27	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	2	2	0
28	निजी सहायक	1	1	0
29	सहायक कृषि अधिकारी	6	5	1
30	कनिष्ठ लेखाकार	10	3	7
31	जिलेदार	1	0	1
32	कनिष्ठ विधि सहायक अधिकारी	1	0	1
33	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	2	0	2
34	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (सी.ए.डी.)	7	5	2
35	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (सिंचाई)	6	5	1
36	आशुलिपिक (सीएडी)	3	0	3
37	आशुलिपिक (सिंचाई)	1	1	0
38	वरिष्ठ सहायक (सीएडी.)	12	9	3
39	वरिष्ठ सहायक (सिंचाई)	24	12	12
40	कनिष्ठ सहायक (सीएडी)	23	20	3
41	कनिष्ठ सहायक (सिंचाई)	33	27	6
42	कनिष्ठ प्रारूपकार	2	0	2
43	कृषि पर्यवेक्षक	54	49	5
44	निरीक्षक (भू.अभि.)	1	0	1

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत,कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
45	पटवारी	15	5	10
46	भू–मापक	2	0	2
47	वाहन चालक	9	0	9
48	फेरोमेन	1	0	1
49	मेकेनिक ग्रेड	3	0	3
50	ऑपरेटर	10	0	10
51	मिस्त्री	1	0	1
52	जमादार	1	1	0
53	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (सी.ए.डी.)	30	25	5
54	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (सिंचाई)	30	20	10
	योग	**461**	**292**	**169**

नोट : श्रीमान् क्षेत्रीय विकास आयुक्त,सीएडी, कोटा का पद शासन उप सचिव, सीएडी एव ंजल उपयोगिता विभाग जयपुर के पत्रांक प.3(27)सी.ए.डी./07 जयपुर दिनांक 11.12.08 से आस्थगित रखा गया है।

2(ब) कार्यालय मुख्य अभिय 2(ब) कार्यालय मुख्य अभियन्ता (पूर्व) एवं अतिरिक्त सचिव जयपुर में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण माह दिसम्बर 2020

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत,कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	मुख्य अभियन्ता	1	1	0
2	अधिशाषी अभियन्ता	3	3	0
3	मुख्य लेखाधिकारी	1	1	0
4	लेखाधिकारी	1	0	1
5	सहायक अभियन्ता	4	2	2
6	प्रोग्रामर एनालिस्ट	1	0	1
7	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
8	कनिष्ठ अभियन्ता	4	2	2
9	विधि सहायक (कनिष्ठ विधि अधिकारी)	1	0	1
10	निजि सहायक/स्टेनों	2	2	0
11	कनिष्ठ लेखाकार	2	2	0
12	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
13	वरिष्ठ सहायक	2	1	1
14	कनिष्ठ सहायक	4	4	0
15	प्रोग्रामर	1	0	1
16	सूचना सहायक	2	0	2
17	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5	5	0
18	वाहन चालक	1	1	0
योग		37	25	12

संगठनात्मक ढांचा,सी.ए.डी., बीकानेर।
आयुक्त क्षेत्रीय विकास, सी.ए.डी., बीकानेर।

प्रशासनिक एवं समन्वय इकाई	वित्त एवं लेखा इकाई	मण्डी विकास समिति इकाई	नगर नियोजक इकाई	कृषि विस्तार इकाई	कृषि अनुसंधान एवं भू सर्वेक्षण इकाई	भूमि विकास हेतु अभियांत्रिकी इकाई
1	2	3	4	5	6	7
1– * आयुक्त. सिं.क्षे.वि. बीकानेर 2–अति. आयुक्त. क्षे.वि. बीकानेर 3– उपायुक्त, क्षेत्रीय विकास 4–तकनीकी सहायक कृते आयुक्त क्षे.वि 5–उपनिदेशक (सांख्यिकी) 6–कम्प्यूटर प्रकोष्ठ	क–वित्तीय सलाहकार, बीकानेर ख– वरि.ले. अधिकारी (I) बीकानेर– 2 (II) गंगानगर–1 (III) सूरतगढ़–1 ग–लेखाधिकारी (सि.भु.) बीकानेर	मण्डी विकास 1. अति. कलेक्टर एवं सचिव मण्डी विकास समिति, बीकानेर 2. नायब तहसीलदार– 1	उप नगर नियोजक	उप निदेशक, कृषि (विस्तार) बीकानेर स्टेज–II कार्यालय जि.वि.अ. 1. बज्जू 2. मोहनगढ़ कृषि अधिकारी बीकमपुर	उप. निदे., कृषि एवं भू–सर्वेक्षण बीकानेर कृषि ग्राह्य केन्द्र (ए.टी.सी.) स्टेज –II 1– प्रभारी अधिकारी, गोडू 2– उपनिदेशक शस्य, नाचना 3– उपनिदेशक शस्य, मोहनगढ़	क– मुख्य अभि. (पश्चिम) सीएडी बीकानेर ख–वृत–4 1–ओ.एफ.डी.–3 2–फी.टे. (सतर्कता) एवं गुण.नियं.– 1 ग– खण्ड 1– ओएफडी– 8 2– गु.नि.– 2 घ– उपखण्ड 1–ओ.एफ.डी.–31 2–ए.आर.ओ–02

बजट निर्णायक समिति वर्ष 2017–18 की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार राज्य सरकार के आदेश सं प. 3(09)सीएडी/13 दिनांक 02.08.2017 द्वारा एण्टी वाटर लोगिंग एंड लैंड रिक्लेमेशन इकाई के समाप्त किये जाने पर इस इकाई के विभिन्न श्रेणी के कुल 14 पद समाप्त किये गये।

4(अ) सिंचित क्षेत्र विकास इंगानप, बीकानेर में विभिन्न सेवा संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण (दिनांक 31.12.2020)

क्र.स.	पदनाम	स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
	राज्य सेवा			
1.	क्षेत्रीय विकास आयुक्त, इंगानप, बीकानेर	1	0	1
2.	अतिरिक्त क्षेत्रीय विकास आयुक्त, इंगानप, बीकानेर	1	0	1
3.	उपायुक्त क्षेत्रीय विकास, इंगानप, बीकानेर	1	0	1
4.	अतिरिक्त कलक्टर एवं सचिव मंडी विकास समिति बीकानेर	1	0	1
5.	अधिशाषी अभियंता एवं तकनीकी सहायक कृते आयुक्त क्षेत्रीय विकास	1	1	0
6.	वित्तीय सलाहकार	1	1	0
7.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	2	0	2
8.	लेखाधिकारी	3	0	3
9.	उपनगर नियोजक	1	0	1
10.	उपनिदेशक (सांख्यिकी)	1	1	0
11	सहायक अभियन्ता (सिविल)	1	0	1
12.	उपनिदेशक कृषि(विस्तार)	1	1	0
13.	उपनिदेशक (शस्य)	2	0	2
14.	उपनिदेशक (वनस्पति)	1	0	1
15.	उपनिदेशक (कीट)	1	1	0
16.	कृषि अनु. अधिकारी (शस्य)	4	2	2
17.	कृषि अनु. अधिकारी (रसायन)	1	1	0
18.	कृषि अनुसंधान अधिकारी (पौध व्याधि)	1	0	1
19.	कृषि अधिकारी	2	2	0
20.	जिला विस्तार अधिकारी	2	1	1
	कुल	**29**	**11**	**18**
	अधीनस्थ सेवा			
1.	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य)	1	1	0
2.	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (वनस्पति)	2	0	2
3.	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन)	5	1	4
4.	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (कीट)	3	0	3
5.	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (उद्यान)	2	0	2
6.	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (पौधव्याधि)	2	0	2
7.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–ा	4	3	1
8.	सहायक कृषि अधिकारी	6	3	3
9.	नायब तहसीलदार	1	0	1
10.	कृषि पर्यवेक्षक	26	13	13
11.	कनिष्ठ वेज्ञानिक सहायक	2	2	0
12.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	5	5	0
13	प्रयोगशाला सहायक	1	1	0
14.	कनिष्ठ अभियन्ता	2	0	2
15.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–ाा	2	2	0

16.	कनिष्ठ लेखाकार	10	10	0
17.	कनिष्ठ प्रारूपकार	1	0	1
18.	सहायक प्रौग्रामर	1	1	0
19.	संगणक	1	1	0
20.	अनुरेखक	1	0	1
21.	मशीन ऑपरेटर	1	1	0
22.	पम्प ऑपरेटर	1	1	0
23.	इलेक्ट्रीशियन कम पम्प ऑपरेटर	1	1	0
24.	वाहनचालक	7	0	7
25.	पटवारी	4	0	4
	कुल	**92**	**46**	**46**
	मंत्रालयिक सेवा			
1.	निजी सचिव	1	1	0
2.	अतिरिक्त निजी सचिव	2	1	1
3.	निजी सहायक	2	1	1
4.	शीघ्रलिपिक	2	1	1
5.	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
6.	अतिरिक्त, प्रशासनिक अधिकारी	4	0	4
7.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	12	0	12
8.	वरिष्ठ सहायक	23	15	8
9.	कनिष्ठ सहायक	35	25	10
	कुल	**82**	**44**	**38**
	चतुर्थ श्रेणी सेवा			
1	जमादार	5	0	5
2.	चौकीदार	9	3	6
3.	साईकिल सवार	1	0	1
4.	क्लीनर	1	0	1
5.	च.श्रे.क.	30	12	18
6.	माली	2	2	0
7.	प्रयोगशाला परिचारक	3	1	2
	कुल	**51**	**18**	**33**
	महायोग	**254**	**119**	**135**

Note:- 1-As per the Government order No. F.5(1)Pers/A-I/2014 dated 21-12-2018 the post of Divisional Commissioner and ex-officio Commissioner, Command Area Development, Bikaner has been de-merged into two separate post namely Divisional Commissioner, Bikaner and Commissioner, CAD. Bikaner.

मुख्य अभियंता (पश्चिम) सीएडी बीकानेर संगठन के अधीन स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण माह 12/2020

क्र.सं	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
(अ)	**राज्य सेवा**			
1	मुख्य अभियंता	01	01	–
2	अधीक्षण अभियंता	05	05	–
3	अधिशाषी अभियंता	17	11	06
4	सहायक अभियंता	57	16	41
5	मुख्य लेखाधिकारी	01	–	01
6	सहायक अनुसंधान अधि.	02	01	01
7	उप विधि परामर्शी	01	01	00
	योग– (अ)	**84**	**35**	**49**
(ब)	**अधीनस्थ सेवा**			
1	कनिष्ठ अभियंता	93	40	53
2	मुख्य प्रारुपकार	01	00	01
3	वरिष्ठ प्रारुपकार	15	00	15
4	कनिष्ठ प्रारुपकार	07	00	07
5	अनुरेखक	09	03	06
6	फैरोमेन	11	00	11
7	वाहन चालक	09	03	06
8	वरिष्ठ अनुसंधान सहा0	02	01	01
9	कनिष्ठ अनुसंधान सहा0	02	00	02
10	लेखाधिकारी	03	01	02
11	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	02	02	00
12	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	02	01	01
13	खण्डीय लेखाकार	09	02	07
14	कनिष्ठ लेखाकार	09	07	02
15	प्रयोगशाला सहायक	04	01	03
	योग–(ब)	**178**	**61**	**117**
(स)	**मंत्रालयिक सेवा**			
1	प्रशासनिक अधिकारी	01	00	01
2	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	09	05	04
3	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	29	16	13
4	निजी सचिव	01	01	00
5	अतिरिक्त निजी सचिव	01	01	00
6	निजी सहायक	03	02	01
7	स्टेनोग्राफर	02	02	00
8	स्टेनोटाईपिस्ट	02	00	02

9	वरिष्ठ सहायक	58	35	23
10	कनिष्ठ सहायक	87	71	16
	योग–(स)	**193**	**133**	**60**
(द)	**चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा**			
1	जमादार	09	02	07
2	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	68	23	45
3	प्रयोगशाला सेवक	02	00	02
	योग–(द)	**79**	**25**	**54**
	महायोग–(अ)+(ब)+(स)+(द)	**534**	**254**	**280**

संगठनात्मक ढांचा सी.ए.डी, बीसलपुर , देवली टोंक

प्रशासनिक एवं समन्वयक इकाई	वित्त एंव लेखा इकाई	भूमि विकास हेतु अभियांत्रिकी इकाई	गुण नियत्रंण इकाई
संभागीय आयुक्त एवं आयुक्त सिंचित क्षेत्र विकास बीसलपुर परियोजना अजमेर	वित्तीय सलाहकार सी.ए. डी चम्बल कोटा	1. मुख्य अभियन्ता (पूर्व) एवं अतिरिक्त सचिव, सी.ए.डी. जयपुर ।	अधिशाषी अभियन्ता गुण नियत्रंण खण्ड देवली
		2. अधीक्षण अभियन्ता बीसलपुर सी.ए.डी. वृत टोंक ।	
	सहायक लेखाधिकारी बीसलपुर सीएडी वृत टोंक।	अधिशाषी अभियन्ता बीसलपुर सी.ए.डी. खण्ड प्रथम देवली ।	
		अधिशाषी अभियन्ता बीसलपुर सी.ए.डी. खण्ड तृतीय टोंक।	
		अधिशाषी अभियन्ता बीसलपुर सी.ए.डी. खण्ड चतुर्थ टोंक।	

नोट : बीसलपुर सिंचित क्षेत्र विकास के सभी कार्यालय नोहर एवं हनुमानगढ में स्थानान्तरित किये गये है तथा उनका प्रभार कार्यालय अधीक्षण अभियंता, बांधवृत देवली एवं इसके अधीनस्थ कार्यालय द्वारा लिया गया है जो कि निम्नवत है :–

	कार्यालय प्रभार दिया	**कार्यालय प्रभार लिया गया**
1	अधीक्षण अभियंता सिंचित क्षेत्र विकास वृत, टोंक	अधीक्षण अभियंता बांधवृत, बीसलपुर परियोजना, देवली।
2	अधिशाषी अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास खण्ड–I, देवली।	अधिशाषी अभियंता निर्माण खण्ड–III, बीसलपुर परियोजना, देवली।
3	अधिशाषी अभियंता सिंचित क्षेत्र विकास खण्ड–III एवं IV	अधिशाषी अभियंता, नहरखण्ड–I, बीसलपुर परियोजना, टोंक।
4	अधिशाषी अभियंता गुण नियन्त्रण खण्ड, देवली	अधिशाषी अभियंता गुण नियन्त्रण खण्ड जयपुर।

राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.6 (01) जस/2017 दिनांक 11.12.2019 द्वारा सिंचित क्षेत्र विकास बीसलपुर टोंक के समस्त पदो को ईसरदा परियोजना एवं अन्य कार्यालयो में स्थानान्तरित कर दिये गये है।

परिशिष्ट –6

सिंचित क्षेत्र विकास, चम्बल कोटा में आलौच्य वर्ष 2020–21 मे स्टेट फण्ड तथा केन्द्रीय सहायता की प्रगति :–

क्र स	योजना	बजट प्रावधान 2020–21			माह दिसम्बर 2020 तक व्यय		
		स्टेट फण्ड	केन्द्रीय सहायता	योग	स्टेट फण्ड	केन्द्रीय सहायता	योग
अ							
1	निर्देशन प्रशासन प्लान सुपरविजन (सिंचाई)	257.73	0.00	257.73	175.78	0.00	175.78
2	निर्देशन एवं प्रशासन	506.73	0.00	506.73	299.86	0.00	299.86
3	ग्राहय परीक्षण	30.00	0.00	30.00	29.99	0.00	29.99
4	प्रदर्शन	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
	योग अ(**1 + 2 + 3+4**)	794.49	0.00	794.49	505.63	0.00	505.63
ब	सिंचाई एवं जलौत्सरण						
ब(1)	पी.आई.एम.						
1	प्रबन्धकीय अनुदान	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2	प्रशिक्षण	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
3	जल उपयोक्ता संगम के चुनाव	20.00	0.00	20.00	2.13	0.00	2.13
	योग ब(1)(**1 + 2 + 3**)	20.02	0.00	20.02	2.13	0.00	2.13
ब(2)	सिंचाई एवं जलोत्सरण						
1	दाँई मुख्य नहर	4030.06	0.00	4030.06	1289.62	0.00	1289.62
2	बाँई मुख्य नहर	2891.18	0.00	2891.18	496.75	0.00	496.75
	योग ब (2) (**1 + 2**)	6921.24	0.00	6921.24	1786.37	0.00	1786.37
योग (सिंचाई एवं जलोत्सरण) ब (ब(1)**+**ब (2))		6941.26	0.00	6941.26	1788.50	0.00	1788.50
स	भूमि विकास कार्य						
1	भूमि विकास (स्थापना)	570.32	0.00	570.32	377.98	0.00	377.98
2	मूंल्याकन / माईनर वक्स	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	भूमि विकास कार्य	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
4	फसल मुआवजा	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
योग (भूमि विकास कार्य)		570.36	0.00	570.36	377.98	0.00	377.98
	योग (अ + ब + स)	8306.11	0.00	8306.11	2672.11	0.00	2672.11

(रूपये लाखों में)

परिशिष्ट –7

सिंचित क्षेत्र विकास, चम्बल कोटा में आलौच्य वर्ष 2020–21 मे अनुसूचित जाति कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत स्टेट फण्ड तथा केन्द्रीय सहायता की वित्तीय प्रगति

(रूपये लाखों में)

क्र स	योजना	बजट प्रावधान 2020–21			माह दिसम्बर 2020 तक व्यय		
		स्टेट फण्ड	केन्द्रीय सहायता	योग	स्टेट फण्ड	केन्द्रीय सहायता	योग
1	2	**3**	**4**	5	6	**7**	**8**
1	प्रदर्शन	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2	सिंचाई एवं जलोत्सरण	1155.00	0.00	1155.00	293.87	0.00	293.87
3	भूमि विकास वृत	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	योग	1155.02	0.00	1155.02	293.87	0.00	293.87

परिशिष्ट –8

सिंचित क्षेत्र विकास, चम्बल कोटा में आलौच्य वर्ष 2020–21 मे अनुसूचित जन जाति कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत स्टेट फण्ड तथा केन्द्रीय सहायता की वित्तीय प्रगति

(रूपये लाखों में)

क्र स	योजना	बजट प्रावधान 2020–21			माह दिसम्बर 2020 तक व्यय		
		स्टेट फण्ड	केन्द्रीय सहायता	योग	स्टेट फण्ड	केन्द्रीय सहायता	योग
1	2	**3**	**4**	5	6	**7**	**8**
1	प्रदर्शन	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2	सिंचाई एवं जलोत्सरण	877.00	0.00	877.00	217.26	0.00	217.26
3	भूमि विकास वृत	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	योग	877.02	0.00	877.02	217.26	0.00	217.26

परिशिष्ट –9

सिंचित क्षेत्र विकास, चम्बल कोटा में भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि वर्ष 2020–2021

क्र.स.	कार्य का विवरण	इकाई	वर्ष 2020–21	
			लक्ष्य	उपलब्धि दिसम्बर 20 तक
1	**2**	**3**	**4**	**5**
अ	**<u>सिंचाई एवं जलोत्सरण कार्य</u>**			
1	अर्थ वर्क (मिट्टी के कार्य)	लाख घन.मी.	7.85	1.74
2	नहर पक्की करने का कार्य	कि.मी.	85.00	42.01
3	विविध ढॉचे/प्रोटेक्शन वर्क्स	संख्या	46	41
4	आउटलेट्स	संख्या	305	18
5	सी.सी.	घन मी.	24158	6880.67
6	स्टोन मेसनरी	घन मी.	1987	362.68
ब	कृषि अनुसंधान कार्य			
1	ग्राहय परीक्षण	संख्या	30	39
2	मिट्टी एवं जल नमूनो का विश्लेषण	संख्या	1000	346
3	बीज उत्पादन कार्यक्रम	हैक्टेयर	102	102.88

परिशिष्ट –10

सिंचित क्षेत्र विकास, चम्बल कोटा में विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति उसकी विगत 3 वर्षों से तुलना :–

वित्तीय प्रगति की तुलना **(रूपये लाखों में)**

क्र.स.	योजना	वर्ष वार कुल व्यय (आयोजना व केन्द्रीय प्रवर्तित योजना)			
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (माह दिसम्बर 20 तक)
अ					
1	निर्देशन एवं प्रशासन आयोजना के सुपरवीजन हेतु	182.33	227.92	222.03	175.78
2	निर्देशन एवं प्रशासन	389.37	462.78	393.11	299.86
3	ग्राहय परीक्षण	0.00	0.00	20.06	29.99
4	प्रदर्शन	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग अ (**1 + 2 + 3 + 4**)	571.70	690.70	635.20	505.63
ब	**सिंचाई एवं जलोत्सरण**				
ब(1)	पी.आई.एम.				
1	प्रबन्धकीय अनुदान (प्रति हेक्टेयर)	0.00	0.00	0.00	0.00
2	प्रशिक्षण	0.00	0.00	0.00	0.00
3	जल उपयोक्ता संगम का चुनाव	0.60	5.01	9.08	2.13
	योग ब(1) (**1 + 2 + 3**)	0.60	5.01	9.08	2.13
ब(2)	सिंचाई एवं जलोत्सरण				
1	दाँई मुख्य नहर	2435.57	3886.67	3978.39	1289.62
2	बाँई मुख्य नहर	1597.38	2643.00	1610.44	496.75
	योग ब (2) (**1 + 2**)	4032.95	6529.67	5588.83	1786.37
	योग (सिंचाई एवं जलोत्सरण)ब (ब(1)**+**ब (2))	4033.55	6534.68	5597.91	1788.50
स	**भूमि विकास कार्य**				
1	भूमि विकास (स्थापना)	415.18	550.10	541.84	377.98
2	माइनर वर्क्स (सर्वे) / मूंल्याकन	11.93	0.00	0.00	0.00
3	भूमि विकास कार्य	1846.95	696.74	34.37	0.00
4	फसल मुआवजा	0.00	0.00	0.00	0.00
5	सस्पेंस	-28.02	-10.97	0.00	0.00
6	कृषक अंशदान वर्ष 16–17,17–18	-49.87	-4.67	0.00	0.00
	योग (भूमि विकास कार्य)	2196.17	1231.20	576.21	377.98
	योग (अ+ब+ स)	6801.42	8456.58	6809.32	2672.11

नोट :– कृषि अनुंसधान कार्यक्रम आयोजना भिन्न में तथा वर्ष 2017–18 से स्टेट फण्ड (योजना के अतिरिक्त) में क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2019–20 से इस योजना को, योजना अर्न्तगत सम्मिलित किया गया **है।**

विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति उसकी विगत 3 वर्षों से तुलना :–

भौतिक प्रगति की तुलना

क्र. स.	योजना	इकाई	वर्ष वार भौतिक प्रगति			
			2017–18	2018–19	2019–20	2020-21 माह दिसम्बर 2020 तक
अ	**सिंचाई एवं जलोत्सरण कार्य**					
1	नहर पक्की करने का कार्य	कि.मी.	18.81	54.91	55.58	42.01
2	विविध ढाँचे/प्रोटेक्शन वर्कस	संख्या	107	121	33	41
3	मिटटी के कार्य	लाख घनमीटर	7.068	15.150	9.04	1.74
4	आउट लेटस	संख्या	15	83	47	18
6	मुख्य ड्रेन/केरियर ड्रेन/सीपेज ड्रेन की सफाई का कार्य	कि.मी.	60.21	39.84	7.74	0
7	सी.सी.	घन मी.	13152	9370	17401	6880.67
8	स्टोन मेसनरी	घन मी.	6866	2635	1020	362.68
ब	**भूमि विकास कार्य**					
1	सर्वेक्षण	हैक्टेयर	10743	0	0	0
2	आयोजना	हैक्टेयर	10492	0	325	0
3	निर्माण	हैक्टेयर	5141	1746	107	0
स	**कृषि अनुसंधान**					
1	ग्राहय परीक्षण	संख्या	-	-	29	39
2	मिट्टी एवं जल नमूनो का विश्लेषण	संख्या	-	-	823	346
3	बीज उत्पादन कार्यक्रम	हैक्टेयर	-	-	79	102.88

नोट :– कृषि अनुंसधान कार्यक्रम आयोजना भिन्न में तथा वर्ष 2017–18 से स्टेट फण्ड (योजना के अतिरिक्त) में क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2019–20 से इस योजना को योजना अर्न्तगत सम्मिलित किया गया **है।**

सिचित क्षेत्र विकास इ.गा.न.प बीकानेर में आलौच्य वर्ष 2020–21 की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति स्पेशल कम्पोनेट प्लान राज्य योजना

(रुपये लाखो में)

क्र.स.	मद	वर्ष 2020–21 मूल वित्तीय प्रावधान	वर्ष 2020–21 दिसम्बर 2020 तक व्यय	वर्ष 2020–21 भौतिक लक्ष्य	दिसम्बर 2020 तक भौतिक उपलब्धि
	सिचित क्षेत्र विकास				
1	इं.गा.न.प	152.35	110.39		
2	सिद्वमुख नोहर सिचांई परियोजना				
	1–खालो का निर्माण (है0)	31.50	0.00	125	0
	2–लाभान्वित परिवार (संख्या)			30	0
3	अमरसिंह सब ब्रांच परियोजना				
	1–खालो का निर्माण (है0)	31.50	0.00	125	0
	2–लाभान्वित परिवार (संख्या)			30	0
4	गंग नहर परियोजना फेज–ा				
	1–खालो का निर्माण (है0)	98.79	81.75	125	23
	2–लाभान्वित परिवार (संख्या)			30	6
5	भाखड़ा नहर परियोजना				
	1–खालो का निर्माण (है0)	97.50	15.00	125	0
	2–लाभान्वित परिवार (संख्या)			30	0
6	गंग नहर परियोजना फेज–ाा				
	1–खालो का निर्माण (है0)	331.16	201.95	8000	2442
	2–लाभान्वित परिवार (संख्या)			1920	587

नोटः– स्पेशल कपोनेन्ट उप योजना मे सिद्वमुख नोहर सिंचाई परियोजना एवं अमरसिंह सब ब्रांच परियोजना का व्यय मार्च 2021 में बुक किया जाएगा।

सिचित क्षेत्र विकास इं.गां.न.प बीकानेर मे आलौच्य वर्ष (2019–20) की भौतिक प्रगति इंगानप परियोजना

(रुपये लाखो में)

क्र.स	कार्य का विवरण	इकाई	वर्ष 2020–21 मूल लक्ष्य	दिसम्बर 2020 तक उपलब्धि
1	कृषि विस्तार			
अ	कृषक प्रशिक्षण	संख्या	6000	0
ब	बोया गया क्षेत्र	लाख हैक्टयर	5.150	5.553
स	प्रदर्शन	संख्या	100	0
2	कृषि अनुसंधान			
अ	विस्तृत भू–सर्वेक्षण	हैक्टयर	1000	0
ब	एडप्टिव ट्रायलस	संख्या	30	30
स	मृदा नमूनो का निर्धारण	संख्या	30000	23481

क्र.स	कार्य का विवरण	ईकाई	वर्ष 2020–21 मूल लक्ष्य	वर्ष 2020–21 उपलब्धि दिसम्बर 2020 तक
1	सिद्वमुख नोहर सिंचाई परियोजना			
अ	भूमि विकास कार्य	हैक्टेयर	500	0
2	अमरसिह सब ब्रांच परियोजना			
अ	भूमि विकास कार्य	हैक्टेयर	500	0
3	गंग नहर परियोजना			
अ	भूमि विकास कार्य	हैक्टेयर	500	90
4	भाखड़ा नहर परियोजना			
अ	भूमि विकास कार्य	हैक्टेयर	500	0
5	गंग नहर परियोजना फेज II			
अ	भूमि विकास कार्य	हैक्टेयर	32000	9767

सिचित क्षेत्र विकास इ.गा.न.प बीकानेर में आलौच्य वर्ष 2020–21 की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति स्पेशल कम्पोनेट प्लान राज्य योजना (रुपये लाखो में)

क्र.स.	मद	वर्ष 2020–21 मूल वित्तीय प्रावधान	वर्ष 2020–21 दिसम्बर 2020 तक व्यय	वर्ष 2020–21 भौतिक लक्ष्य	दिसम्बर 2020 तक भौतिक उपलब्धि
	सिचित क्षेत्र विकास				
1	इं.गा.न.प	147.25	115.79		
2	सिद्वमुख नोहर सिचांई परियोजना				
	1–खालो का निर्माण (है0)	173.51	0.00	875	0
	2–लाभान्वित परिवार (संख्या)			210	0
3	अमरसिंह सब ब्रांच परियोजना				
	1–खालो का निर्माण (है0)	114.77	25.11	300	62
	2–लाभान्वित परिवार (संख्या)			72	14
4	गंग नहर परियोजना फेज–ा				
	1–खालो का निर्माण (है0)	625.39	181.24	2075	514
	2–लाभान्वित परिवार (संख्या)			498	124
5	भाखड़ा नहर परियोजना				
	1–खालो का निर्माण (है0)	738.04	263.74	3000	24
	2–लाभान्वित परिवार (संख्या)			720	6
6	गंग नहर परियोजना फेज–ाा				
	1–खालो का निर्माण (है0)	187.50	0.00	2250	556
	2–लाभान्वित परिवार (संख्या)			540	134

नोटः– स्पेशल कपोनेन्ट उप योजना मे सिद्वमुख नोहर सिंचाई परियोजना एवं अमरसिंह सब ब्रांच परियोजना का व्यय मार्च 2021 में बुक किया जाएगा।

सिंचित क्षेत्र विकास इं.गा.न.प बीकानेर मे विभागीय प्रमुख कार्य के विरुद्व आलौच्य वर्ष में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्षो से तुलना

क्र. स.	परियोजना का नाम	वर्ष 2017–18		वर्ष 2018–19		वर्ष 2019–20		वर्ष 2020–21 (31.12.20 तक)	
		भौतिक प्रगति (हैक्टेयर)	भौतिक प्रगति (हैक्टेयर)	भौतिक प्रगति (हैक्टेयर)	वितीय प्रगति रूपये लाखो में	भौतिक प्रगति (हैक्टेयर)	वितीय प्रगति रूपये लाखो में	भौतिक प्रगति (हैक्टेयर)	वितीय प्रगति रूपये लाखो में
1	गंग नहर परियोजना (फेज–I)	11115	5449	5449	4595.64	2353	3025.63	90	1934.48
2	सिद्वमुख नोहर सिंचाई परियोजना	472	455	455	210.84	0	56.94	0	12.06
3	अमरसिंह सब ब्राच परियोजना	939	408	408	255.11	287	91.45	0	26.27
4	भाखड़ा नहर परियोजना	21295	13410	13410	4799.03	277	2150.63	0	444.90
5	गंग नहर परियोजना (फेज–II)	7224	7078	7078	1299.20	5345	1132.38	9767	1712.89
6	मण्डी विकास समिति, बीकानेर	–	–	–	81.11	–	17.38	–	15.64
अ	भू–खण्डों की निलामी (संख्यां)	–	–	–	–	–	–	–	–
ब	राजस्व वसूली(रु. लाखोंमें)	77.02	116.23	116.23	–	431.69	–	96.78	–

परिशिष्ट–16

बीसलपुर सिंचित क्षेत्र विकास, बीसलपुर में आलौच्य वर्ष (2020–21) की वित्तीय प्रगति

(रूपये लाखों में)

क्र. स.	योजना	2020–21 (आवटन एवं केन्द्रीय अंश)				व्यय दिसम्बर 20 तक	
		प्रावधान 2020 – 2021	अतिरिक्त आवंटन	कुल आंवटन	कुल आवटन (5) में केन्द्रीय अंश	वास्तविक व्यय माह, दिसम्बर 2020–21 तक	माह दिसम्बर 2020 तक व्यय में केन्द्रीय अंशं
1	2	3	4	5	6	7	8
अ	खालों का निर्माण	2.74	0.00	2.74	0.00	2.64	0.00
	योग :–	**2.74**	**0.00**	**2.74**	**0.00**	**2.64**	**0.00**

परिशिष्ठ–17

भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां वर्ष 2020–21

कं0सं0	कार्य का विवरण	इकाई	वर्ष 2020–21		
			मूल लक्ष्य	संशोधित लक्ष्य	उपलब्धि (12/2020 तक)
1	भूमि विकास कार्य (निर्माण)	हैक्टेयर	0	00	00

परिशिष्ट–18

सी.ए.डी बीसलपुर परियोजना विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्व आलौच्य वर्ष में प्रगति उसकी विगत 3 वर्षो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की तुलना :–

वित्तीय प्रगति की तुलना

(राशि लाखों में)

क्र.स.	**योजना**	**वर्षवार कुल व्यय (आयोजना व केन्द्रीय प्रवर्तित योजना)**				
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 माह दिसम्बर– 2020
अ	भूमि विकास कार्य	583.957	424.63	398.52	418.27	2.64

परिशिष्ट–19

भौतिक प्रगति की तुलना

(प्रगति हैक्टर में)

क्र.स.	योजना	वर्षवार भौतिक प्रगति (आयोजना व केन्द्रीय प्रवर्तित योजना)				
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 माह दिसम्बर–2020
अ	भूमि विकास कार्य	1473	1453	1845	1448	0.00

महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबरों की सूची

क्र.सं.	पदनाम	कार्यालय	निवास
1.	मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार	2227656	2228712 / 2228713
2	मंत्री, कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास, राजस्थान सरकार	2227781 / इपीबीएक्स 5153222–21245	2226963
3	राज्य मंत्री, कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास, राजस्थान सरकार	01412227544 / इपीबीएक्स 5153222–21495	2222654
4	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	2227254	256324
5	प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार	2227308	2701227
6	प्रमुख शासन सचिव, सीएडी	2227128 / इपीबीएक्स 5153222–21466	2740993 9829238488
7	मुख्य अभियंता एवं अति0 सचिव (पूर्व) सीएडी, जयपुर	0141–2709487,	9460078260
8	शासन उप सचिव, सीएडी	2227643 / इपीबीएक्स 5153222–23 आई0पी0नं0 24880	9784357179
9	विशेषाधिकारी, सीएडी,	2227643 / इपीबीएक्स 5153222–23 आई0पी0नं0 25524	9414025117
10	सहायक विधि परामर्शी, सीएडी	इपीबीएक्स–5153222–23 आई0पी0 नं0 25522	9828222837
11	सांख्यिकी अधिकारी, सीएडी	इपीबीएक्स–5153222–23 आई0पी0 नं0 25522	9785111898
12	सहायक लेखाधिकारी–I, सीएडी	इपीबीएक्स–5153222–23 आई0पी0 नं0 25522	9214991666
13	अनुभागाधिकारी, सीएडी	इपीबीएक्स–5153222–23 आई0पी0 नं0 25522	8209878534
	सी.ए.डी., चम्बल, कोटा		
1.	क्षेत्रीय विकास आयुक्त कोटा	2500675, 2500853	2450040
	फेक्स	0744–2500769	
2.	अतिरिक्त क्षेत्रीय विकास आयुक्त, कोटा	0744–2500740	2475606
3.	मुख्य लेखाधिकारी, सीएडी कोटा	0744–2500446	9413974695
4.	अधीक्षण अभियन्ता (भू.वि.), सी.ए.डी. कोटा	0744–2500787	7976507485
5.	अधीक्षण अभियन्ता (सिंचाई वृत) सी.ए.डी. कोटा	0744–2500149	9079705794
6.	अधीक्षण अभियन्ता (बाई मुख्य नहर) सी.ए.डी. कोटा	0744–2500056	8875718850
7.	परियोजना निदेशक (विस्तार) सी.ए.डी. कोटा	0744–2500644	9468590079
8.	परियोजना निदेशक (शस्य) सी.ए.डी. कोटा	0744–2370740	2333099
	सीएडी, इंगानप, बीकानेर		
1–	आयुक्त क्षेत्रीय विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर।	0151–2226800 0151–2226821 (फैक्स)	0151–2226801
2–	अतिरिक्त आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर।	0151–2226802	0151–2233547
3–	मुख्य अभियन्ता (पश्चिम), सीएडी, बीकानेर।	0151–2226822 0151–2226824 (फैक्स)	0151–2226823
4–	वित्तीय सलाहकार, सिंचित क्षेत्र विकास, इंगांनप, बीकानेर।	0151–2226803	0151–2111522
	सीएडी, बीसलपुर		
1	संभागीय आयुक्त एवं सिंचित क्षेत्र विकास आयुक्त, अजमेर	0145–2627501	0145.2627502
2	अधीक्षण अभियंता, बांधवृत, देवली, टोंक	01434–232149	9982226897